अनुसचित जाति उपयोजनान्तर्गत

संख्याः– 813 / III(2)/14–42(प्रा०आ०)/2013 टी०सी०

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

जारी नं० 509
फाइल नं० 2
दिनांक 12/2

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
खण्ड, लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 8 फरवरी, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता कु०क्षे०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 04 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 58.00 किमी० तथा लागत ₹ 265.46 लाख है, पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 265.46 लाख (₹ दो करोड़ पैंसठ लाख छियालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण

शासनादेश संख्या:– 813/III(2)/14–42(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 8 फरवरी, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–गंगोलीहाट में गनकोट–सप्तेश्वर तक मोटर मार्ग का सुधार, सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण।	9.00	1.53	0.10
2	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–गंगोलीहाट में कोटैरा से झंडु कोठेरा डिग्री कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	58.50	0.10
3	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानी शीतल, सिमायल भूल की अध्याली, चामासौड़ एवं धौरबुना तक मोटर मार्ग का निर्माण।	35.00	204.75	0.10
4	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–गंगोलीहाट में बेरीनाग–चौलीगाड–पाँसा मोटर मार्ग का किमी0 1.00 से किमी0 5.00 तक सुधार, सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण।	4.00	0.68	0.10
	योग:–	58.00	265.46	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
इकाई खण्ड, ग्रा० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

(महिमा)
अनु सचिव